राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०
पी. सी. एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

State Election Commission, U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow.
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website : http://sec.up.nic.in
E-mail : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

संख्या– **7430** / रा0नि0आ0अनु0–3 / पं0नि0 / 166–15 लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या–3248 / 33–3–2015–255 / 2002 टी0सी0–2 दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद–243ट सपठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, एस0के0 अग्रवाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) में अध्यक्ष, जिला पंचायत के पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर सामान्य निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ :–

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
01 जनवरी, 2016 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)	**01 जनवरी, 2016** (अपराह्न 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	**04 जनवरी, 2016** (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)	**07 जनवरी, 2016** (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)	**07 जनवरी, 2016** (अपराह्न 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष, जिला पंचायत के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से अध्यक्ष के पद के आरक्षण के सम्बन्ध में विवरण देते हुए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम–5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र–1 में सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से हिन्दी में **दिनांक 18 दिसम्बर, 2015** को निर्गत करेंगे तथा उसकी एक प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन (अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट) जिला पंचायत सदस्यों के अंतिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम को सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला मुख्यालय, क्षेत्र पंचायत मुख्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा तहसील कार्यालय के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवाकर प्रदर्शित कराएंगे। उक्त निर्वाचन **उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994** के अनुसार सम्पन्न होगा।

3. यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उपर्युक्त संदर्भित नियमावली के अनुसूची–1 में निर्धारित प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिए जाएंगे जिस क्रम में वे नियम–12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने के बाद बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के तत्काल परिणाम घोषित किया जाएगा।

4. सामान्य निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

एस0के0अग्रवाल
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :–7430 (1)/रा0नि0आ0अनु0–3/पं0नि0/166–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु भेज दें।
16. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
20. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
23. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
24. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
25. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
26. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को **दिनांक 17 दिसम्बर, 2015** के असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी दस प्रतियॉ आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
27. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
28. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
29. गार्ड फाइल, अनुभाग–3, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

17/12/2015

(जय प्रकाश सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।